



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 4 मार्च, 2021 (फाल्गुन 13, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 141 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 162 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों में उत्खनन संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 2945) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

तारांकित प्रश्न संख्या-8 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री कुणाल चौधरी, आसंदी द्वारा बहिर्गमन के बाद भी आसंदी द्वारा पुनः प्रश्न पूछने की अनुमति देने की मांग की गई. इस प्रश्न के दौरान पुनः व्यवधान के कारण 11.55 बजे कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.05 बजे पुनः समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों से अनुरोध किया गया कि यदि आसंदी से कोई व्यवस्था दी गई है तो उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप या टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है. कृपया उसको सभी स्वीकार करें.

3. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में डॉ. के.पी. यादव एवं श्री सुधीर गुप्ता, सांसदगण की उपस्थिति पर स्वागत उल्लेख किया गया.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल के तहत कम्युनिटी हेल्थ आफिसर की नियुक्ति न किये जाने,
- (2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले के गांवों एवं शहरों के निवासियों के बिल जमा होने पर भी बिजली न मिलने,
- (3) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य की बहोरी बंद तह. अंतर्गत सुहार नदी पर पुल बनवाया जाने,
- (4) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर नगर पालिका जिला उज्जैन अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना विकास के द्वितीय चरण अंतर्गत स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,
- (5) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह, सदस्य की कटनी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़वारा में एक्सरे मशीन खराब होने,

- (6) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की जिला बैतूल तह. मुलताई अतंगत हरदौली डेम की उँचाई बढ़ाने में भू-अर्जन का ग्रामीणों को मुआवजा न मिलने,
- (7) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की पंचायत सविचों को नियमित कर विभाग में संविलियन किये जाने,
- (8) श्री विशाल जगदीश पटेल, सदस्य की देपालपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नर्मदा गंभीर लिंक योजना बंद पड़ी यूनियो को चालू कराये जाने,
- (9) श्री मनोज चावला, सदस्य की उदयपुर निम्बाहेड़ा स्टेट हाइवे रादरखेड़ा के समीप दिनांक 13-12-2020 को भीषण सड़क हादसे में घायलों एवं मृतकों को सहायता राशि न मिलने तथा
- (10) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अतंगत विभिन्न ग्रामों के निर्माणाधीन पहुंच मार्ग घटिया स्तर के कराये जाने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने संत रविदास म.प्र.हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2018-19 पटल पर रखा.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश वित्त निगम के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक् लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, तथा

(ख) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2020 का प्रतिवेदन, संख्या-3, पटल पर रखे.

(3) श्री कमल पटेल, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2017-18 पटल पर रखी.

(4) डॉ.प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 पटल पर रखे.

(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे वित्तीय वर्ष 2018-19,

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 02 जून, 2020, तथा

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

पटल पर रखे.

(6) श्री प्रेमसिंह पटेल, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री ने आयुक्त, निःशक्तजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 पटल पर रखा.

(7) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(ख) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(ग) (i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, तथा

(iii) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

(घ) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20,

पटल पर रखे.

(8) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण ने एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(9) श्री इन्दर सिंह परमार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक लेखा वर्ष 2016-17 पटल पर रखा.

6. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी, तरुण भनोत एवं पी.सी. शर्मा, सदस्यगण ने जबलपुर के केण्ट क्षेत्र में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त की राशि न मिलने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(2) सर्वश्री संजय यादव, ओमकार सिंह मरकाम (अनुपस्थित), लखन घनघोरिया, तरुण भनोत, विनय सक्सेना, फुन्देलाल सिंह मार्को, जालम सिंह पटेल एवं नारायण सिंह पट्टा, सदस्यगण ने जबलपुर एवं डिण्डोरी शहर के गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में मिलने से नदी का जल प्रदूषित होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी (जिला-जबलपुर)
- (2) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (3) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (4) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
- (5) श्री लाखन सिंह यादव (जिला-ग्वालियर)
- (6) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (7) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
- (8) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
- (9) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
- (10) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
- (11) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (12) श्री वृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-निवाड़ी)
- (13) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (14) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
- (15) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (16) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (17) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
- (18) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर)
- (19) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (20) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
- (21) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (22) श्री के.पी. त्रिपाठी (जिला-रीवा)
- (23) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (24) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
- (25) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू (जिला-नीमच)
- (26) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
- (27) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंदसौर)
- (28) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (29) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
- (30) कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा) (जिला-छतरपुर)

- (31) श्री राहुल सिंह लोधी (जिला-टीकमगढ़)
- (32) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (33) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
- (34) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (35) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
- (36) श्री जुगुल किशोर बागरी (जिला-सतना)
- (37) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मंडला)
- (38) श्री नीलांशु चतुर्वेदी (जिला-सतना)
- (39) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
- (40) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
- (41) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
- (42) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (43) श्री प्रियव्रत सिंह (जिला-राजगढ़)
- (44) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
- (45) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
- (46) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
- (47) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
- (48) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
- (49) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
- (50) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
- (51) श्री बापूसिंह तंवर (जिला-राजगढ़)
- (52) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
- (53) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी' (जिला-अशोकनगर)
- (54) श्री राम दांगोरे (जिला-खण्डवा)

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 4 मार्च, 2021 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वर्ष 2020-2021 के प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयकों के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण तथा वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश वित्त विधेयक, 2021 (क्रमांक 19 सन् 2021)	30 मिनट
3.	दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021(क्रमांक 20 सन् 2021)	30 मिनट
4.	वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	30 मिनट
5.	वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	30 मिनट

वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए आवंटित समय.

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	आवंटित समय
1.	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1- सामान्य प्रशासन 2- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 32- जनसम्पर्क 41-प्रवासी भारतीय 45-लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन 48-नर्मदा घाटी विकास 55-महिला एवं बाल विकास 65-विमानन	2 घण्टे 30 मिनट
2.	डॉ.नरोत्तम मिश्रा, मंत्री	3- पुलिस 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 5- जेल 28- राज्य विधान मण्डल 29- विधि और विधायी कार्य	2 घण्टे
3.	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 53- लोक निर्माण कार्य-भवन 56- कुटीर एवं ग्रामोद्योग	1 घण्टा 30 मिनट
4.	श्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री	16- मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 23- जल संसाधन	1 घण्टा
5.	श्री विजय शाह, मंत्री	10- वन	1 घण्टा 30 मि.
6.	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	6- वित्त 7- वाणिज्यिक कर 31- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 60- जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	
7.	श्री बिसाहूलाल सिंह, मंत्री	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1 घण्टा
8.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री	43- खेल और युवा कल्याण 47- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	30 मिनट
9.	श्री भूपेन्द्र सिंह, मंत्री	22- नगरीय विकास एवं आवास	1 घण्टा
10.	कु.मीना सिंह मांडवे, मंत्री	33- जनजातीय कार्य 49- अनुसूचित जाति कल्याण	1 घण्टा

11.	श्री कमल पटेल, मंत्री	13- किसान कल्याण तथा कृषि विकास 54- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	1 घण्टा 30 मिनट
12.	श्री गोविंद सिंह राजपूत, मंत्री	8- भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 36- परिवहन 58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	1 घण्टा
13.	श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री	18- श्रम 25- खनिज साधन	1 घण्टा
14.	श्री विश्वास सांरग, मंत्री	42- भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास 52- चिकित्सा शिक्षा	1 घण्टा
15.	डॉ. प्रभुराम चौधरी, मंत्री	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1 घण्टा 30 मिनट
16.	डॉ.महेन्द्र सिंह सिसौदिया, मंत्री	30- ग्रामीण विकास 59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62- पंचायत	1 घण्टा
17.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री	12- ऊर्जा	1 घण्टा
18.	श्री प्रेम सिंह पटेल, मंत्री	14- पशुपालन एवं डेयरी 34- सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	30 मिनट
19.	श्री ओम प्रकाश सखलेचा, मंत्री	35- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 46- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	30 मिनट
20.	सुश्री उषा ठाकुर, मंत्री	26- संस्कृति 37- पर्यटन 51- अध्यात्म	1 घण्टा
21.	श्री अरविन्द भदौरिया, मंत्री	17- सहकारिता 21- लोक सेवा प्रबन्धन	1 घण्टा
22.	डॉ. मोहन यादव, मंत्री	44- उच्च शिक्षा	1 घण्टा
23.	श्री हरदीप सिंह डंग, मंत्री	09- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा 57- पर्यावरण	30 मिनट
24.	श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, मंत्री	11- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	30 मिनट
25.	श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री	50- उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	1 घण्टा
26.	श्री इंदर सिंह परमार, राज्यमंत्री	27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) 40- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	1 घण्टा

27.	श्री रामखेलावन पटेल, मंत्री	15- विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण 63- अल्पसंख्यक कल्याण 64- पिछड़ा वर्ग कल्याण	30 मिनट
28.	श्री राम किशोर कांवरे, राज्यमंत्री	38- आयुष	30 मिनट

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार- दिनांक 8 से 22 मार्च, 2021 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश न रखा जाय और सायं आवश्यकतानुसार बैठकों के समय में वृद्धि की जाए तथा दिनांक 10 मार्च, 2021 को महाशिवरात्रि पर्व के परिप्रेक्ष्य में सभा की बैठक न रखी जाए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों एवं वित्तीय कार्यों के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई गई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. शासकीय वक्तव्य

(2) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 308) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

10. वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश विनियोग अध्यादेश, 2021 (क्रमांक 2 सन् 2021) पटल पर रखा तथा तत्संबंधी वर्ष 2020-2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 4 मार्च, 2021 को 30 मिनट का समय नियत किया गया.

11. वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार, वर्ष 2020-2021 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया. अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 4 मार्च, 2021 को 30 मिनट का समय नियत किया गया.

12. वर्ष 2020-2021 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

“ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66 तथा 68 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर सोलह हजार, सात सौ इकहत्तर करोड़, तिरेपन लाख, ग्यारह हजार, नौ सौ तिरेसठ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3, 4 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 (क्रमांक 16 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

14. वर्ष 2020-2021 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अतः वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

“ दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 2, 3, 7, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 26, 27, 38, 47, 48, 50, 53, 58, 64, 65 तथा 66 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह हजार, दो सौ आठ करोड़, छियालीस लाख, तीन हजार, छह सौ तैंतीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. ”

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 17 सन् 2021) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2021 (क्रमांक 17 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

16. वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 2 मार्च, 2021 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) श्री तरूण भनोत (चर्चा जारी)

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(अपराहन 1.30 बजे से 3.05 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री तरूण भनोत (भाषण पूर्ण)

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

- (2) श्री केदारनाथ शुक्ल
- (3) श्री बाला बच्चन
- (4) श्री शैलेन्द्र जैन
- (5) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

सभापति महोदय (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) पीठासीन हुए.

- (6) डॉ. सीतासरन शर्मा
- (7) श्री जयवर्द्धन सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

- (8) श्री बहादुर सिंह चौहान (भाषण अपूर्ण)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि माननीय सदस्य का का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

17. समितियों के निर्वाचन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिये क्रमशः ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह-पन्द्रह तथा ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं उतने ही उम्मीदवार शेष हैं अतः उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया -

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री दिनेश राय
2. श्री देवेन्द्र वर्मा
3. श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
4. श्री पी.सी.शर्मा
5. इंजी. प्रदीप लारिया
6. श्री प्रवीण पाठक
7. श्री बालाराम बच्चन
8. श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
9. श्री रमेश मैदोला
10. श्री राजेन्द्र शुक्ल
11. श्री शैलेन्द्र जैन

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री आलोक चतुर्वेदी
2. श्री चेतन्य कुमार काश्यप
3. श्री तरुण भनोत
4. श्री मनोज नारायणसिंह चौधरी
5. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
6. श्री लक्ष्मण सिंह
7. श्री रामपाल सिंह
8. कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)
9. श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
10. श्री सुदेश राय
11. डॉ. हिरालाल अलावा

श्री रामपाल सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
2. श्री कुंवरजी कोठार
3. श्री कुंवर सिंह टेकाम
4. श्री कुणाल चौधरी
5. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन
6. श्री जजपाल सिंह जज्जी
7. श्री पांचीलाल मेड़ा
8. श्री रामलाल मालवीय
9. श्री विजयपाल सिंह
10. श्री संजय शर्मा
11. श्री संजय यादव

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री करण सिंह वर्मा
2. श्रीमती कलावती भूरिया
3. श्री जयसिंह मरावी
4. श्री ठाकुरदास नागवंशी
5. श्रीमती नंदनी मरावी
6. श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय
7. कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी
8. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
9. श्री बैजनाथ कुशवाह
10. श्री महेन्द्र हार्डिया
11. श्री मनोज चावला
12. श्री मेवाराम जाटव
13. श्री सिद्धार्थ कुशवाहा
14. श्री सुभाष रामचरित्र
15. श्री हरिशंकर खटीक

श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(5) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अजय विश्नोई
2. श्री कमलेश्वर पटेल
3. श्री कमलेश जाटव
4. श्री जयवर्द्धन सिंह
5. श्री दिव्यराज सिंह
6. श्री दिलीप सिंह गुर्जर
7. श्री रामलल्लू वैश्य
8. श्री विक्रम सिंह
9. श्री विनय सक्सेना
10. श्री सज्जन सिंह वर्मा
11. श्री संजय शाह (मकड़ाई)

श्री अजय विश्नोई, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए राज्य विधान सभा के 8-8 सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् 8-8 उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए केवल 8-8 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अतः मैं, निम्नांकित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं:-

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

1. श्री आरिफ मसूद
2. श्री उमाकांत शर्मा
3. श्रीमती कृष्णा गौर
4. श्री पी.सी. शर्मा
5. श्री रामेश्वर शर्मा
6. श्री विष्णु खत्री
7. श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव
8. श्री सुदेश राय

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

1. श्री कमलेश जाटव
2. श्री जजपाल सिंह जज्जी
3. श्री मेवाराम जाटव
4. श्री रवीन्द्र सिंह तोमर
5. श्रीमती रक्षा संतराम सरौनिया
6. श्री राकेश मावई
7. श्री बीरेन्द्र रघुवंशी
8. श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

1. श्री आकाश कैलाश विजयवर्गीय
2. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
3. श्री प्रताप ग्रेवाल
4. श्री महेन्द्र हार्डिया
5. श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
6. श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी
7. श्री रमेश मैदोला
8. श्री विशाल जगदीश पटेल

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

1. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
2. श्रीमती गायत्री राजे पवार
3. श्री दिलीप सिंह गुर्जर
4. श्री पारसचन्द्र जैन
5. श्री बहादुर सिंह चौहान
6. श्री मनोज चावला
7. श्री मनोज नारायणसिंह चौधरी
8. श्री मुरली मोरवाल

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

1. श्री कमलेश्वर पटेल
2. श्री नागेन्द्र सिंह 'गुड'
3. श्री दिव्यराज सिंह
4. श्री नीलांशु चतुर्वेदी
5. श्री प्रदीप पटेल
6. श्री राजेन्द्र शुक्ल
7. श्री विक्रम सिंह
8. श्री सिद्धार्थ कुशवाहा

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

1. श्री अजय विश्नोई
2. श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
3. डॉ. अशोक मर्सकोले
4. श्री जालम सिंह पटेल
5. श्री नारायण सिंह पट्टा
6. श्रीमती नंदनी मरावी
7. श्री लखन घनघोरिया
8. श्री सुशील कुमार तिवारी

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

1. श्री आलोक चतुर्वेदी
2. कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा)
3. श्री नीरज विनोद दीक्षित
4. कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी
5. श्री राकेश गिरि
6. श्री राजेश कुमार प्रजापति
7. श्री राहुल सिंह लोधी
8. श्री हरिशंकर खटीक

छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा

1. श्री ठाकुरदास नागवंशी
2. श्री दिनेश राय
3. श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा
4. डॉ. योगेश पण्डाग्रे
5. श्री रामपाल सिंह
6. श्री सुखदेव पांसे
7. श्री सुजीत मेर सिंह चौधरी
8. श्री संजय उइके

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

1. श्री लाखन सिंह यादव
2. श्री बीरेन्द्र रघुवंशी

अपराह्न 5.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021 (14 फाल्गुन, शक सम्बत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 4 मार्च, 2021.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.